



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267534
CG-DL-E-10112025-267534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4916]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4916]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5071(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2627(अ) दिनांक 12/06/2025, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 13/06/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में AKHAJ#01 से LNJ#49 VIA AKHAJ#05 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के आखज और बलवंतपुरा - गांव, तहसील - मेहसाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 17/06/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट AKHAJ#01 से LN#49 VIA AKHAJ#05 से होते हुए

तालुका:- मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	942		00	06	25
2	941		00	12	10
3	957		00	22	00
4	1837		00	06	80
5	983		00	17	35
6	984		00	34	60
7	985		00	01	95
8	986		00	26	65
9	988		00	05	55
10	989		00	14	85
11	990		00	21	35
12	1172		00	25	90
13	1170		00	04	35
14	1169		00	13	80
15	1168		00	13	90
16	1167		00	00	50
17	1166		00	14	95
18	1165		00	09	70
19	1825		00	02	45
20	1186		00	15	26
21	1191		00	06	80
22	1192		00	08	05
23	1193		00	13	95
24	1194		00	07	10
25	1195		00	12	10
26	1828		00	02	50
27	1351		00	62	90
28	1349		00	32	90
29	1347		00	17	35
30	1346		00	02	60
31	1342		00	06	05

32		1341		00	12	85
33		1832		00	01	35
34		1340		00	10	75
35		1339		00	25	25
36		1338		00	00	95
37		1337		00	06	55
38		1382		00	12	30
39		1384		00	27	15
40		1383		00	05	75
41		1833		00	04	30
42		1387		00	14	55
43		1392		00	15	35
44		1394		00	14	00
45		230		00	11	50
46		233		00	11	55
47		234		00	03	36
48		235		00	00	85
49		284		00	05	20
50		228		00	00	50
51		212	उत्तर दिशा-855 दक्षिण दिशा-1195	00	20	50
52		211		00	26	35
53	बलवंतपुरा	210		00	06	35
54		209		00	12	20
55		208		00	01	60
56		206		00	02	10
57		201		00	04	40
58		200		00	16	15
59		199		00	16	10
60		277		00	04	80
61		276		00	04	40
62		178		00	04	05
			कुल क्षेत्रफल	07-45-62		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/23/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी (ई-53160)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2025

S.O. 5071(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2627(E) Dated 12/06/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 13/06/2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from AKHAJ#01 TO LN#49 VIA AKHAJ#05 in AKHAJ, BALVANTPURA villages, Taluka Mehsana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 17/06/2025.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE AKHAJ#01 TO LNJ#49 VIA AKHAJ#05

TALUKA:-MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village	Survey No./Block No.	Part if any	Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4		
1	942		00	06	25
2	941		00	12	10
3	957		00	22	00
4	1837		00	06	80
5	983		00	17	35
6	984		00	34	60
7	985		00	01	95
8	986		00	26	65
9	988		00	05	55
10	989		00	14	85
11	990		00	21	35
12	1172		00	25	90
13	1170		00	04	35
14	1169		00	13	80
15	1168		00	13	90
16	1167		00	00	50
17	1166		00	14	95
18	1165		00	09	70
19	1825		00	02	45
20	1186		00	15	26
21	1191		00	06	80
22	1192		00	08	05
23	1193		00	13	95
24	1194		00	07	10
25	1195		00	12	10

26		1828		00	02	50
27		1351		00	62	90
28		1349		00	32	90
29		1347		00	17	35
30		1346		00	02	60
31		1342		00	06	05
32		1341		00	12	85
33		1832		00	01	35
34		1340		00	10	75
35		1339		00	25	25
36		1338		00	00	95
37		1337		00	06	55
38		1382		00	12	30
39		1384		00	27	15
40		1383		00	05	75
41		1833		00	04	30
42		1387		00	14	55
43		1392		00	15	35
44		1394		00	14	00
45	Balvantpura	230		00	11	50
46		233		00	11	55
47		234		00	03	36
48		235		00	00	85
49		284		00	05	20
50		228		00	00	50
51		212	North Part-855 South Part-1195	00	20	50
52		211		00	26	35
53		210		00	06	35
54		209		00	12	20
55		208		00	01	60
56		206		00	02	10
57		201		00	04	40
58		200		00	16	15
59		199		00	16	10
60		277		00	04	80
61		276		00	04	40
62		178		00	04	05
			Total Area	07-45-62		

[F. No. Expl-13011(26)/23/2025-EXPL-PNG (E-53160)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.